न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राज0
कोमल बनाम रवि आदि
मुत0 फौजदारी प्रकरण सं0 55/2024
सीआईएस नंबर–55/2024

दिनांकः–27.01.2025

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक मान व अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हवासिंह बबेरवाल उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 में धारा 23 के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र के संबंध में आदेश पारित किया जा रहा है। बहस अंतरिम भरण पोषण भत्ता अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम गत पेशी पर उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी संख्या 1 रवि के साथ विधिवत रूप से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 20.11.2011 को आवदेका के पिता के घर ग्राम खेतडीनगर (गोठडा) में हुआ था तथा उसके साथ उसकी बडी बहन रूबी का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 02 भवानी के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह में उसके पिता ने करीब 13 लाख रूपये लगाये व सोने चांदी के गहने इत्यादि दिये। विवाह के पश्चात प्रार्थीया से अप्रार्थीगण ने कम दहेज के लिए ताना दिया तथा 1,51,000/– रूपये व मोटरसाईकिल की मांग की गई तथा उक्त मांग को लेकर प्रार्थीया के साथ मारपीट की गई तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा शराब पीकर प्रार्थीया के साथ मारपीट की जाती। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया के साथ मारपीट कर दिनांक 10.09.2019 को पहने हुये कपडो में उसके पीहर खेतडीनगर छोडकर चला गया। तत्पश्चात प्रार्थीया के परिवारजन द्वारा समझाने पर अप्रार्थीगण प्रार्थीया को ले गये। कुछ समय पश्चात पुनः उक्त दहेज की मांग को लेकर प्रार्थीया के साथ मारपीट कर दिनांक 27.04.2023 को खेतडीनगर बस स्टैण्ड पर छोडकर चले गये। प्रार्थीया अपने पीहर में बेहद दयनीय हालात में रह रही है तथा उसके पास आय का कोई साधन नहीं है तथा वह कोई हुनर भी नहीं जानती। अप्रार्थी संख्या 01 सफाई का ठेका लेता है व पशु पालन का व्यवसाय करता है जिससे वह करीब 50,000 रूपये प्रतिमाह कमाता है। अंत में प्रार्थीया को 25,000/–रूपये प्रतिमाह अप्रार्थी से बतौर अंतरिम भरण पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया।

जिसका खंडन करते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 ने

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राज0
कोमल बनाम रवि आदि
मुत0 फौजदारी प्रकरण सं0 55/2024
सीआईएस नंबर–55/2024

तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 का विवाह होना स्वीकार है। विवाह बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुआ था। अप्रार्थीगण ने दहेज के लिये कभी भी प्रार्थीया के साथ मारपीट नहीं की गई। दिनांक 10.09.2019 को प्रार्थीया स्वयं लडाई झगडा करके अपने पीहर चली गई तथा अप्रार्थीगण को मानसिक रूप से प्रताडित करती थी और उनको दहेज के मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। प्रार्थीया कॉपर में क्वाटरो में साफ सफाई का काम करके करीब 15000 रूपये महिना कमाती है। अप्रार्थी संख्या 01 पर प्रार्थीया की जिम्मेदारी के अलावा अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत है। अतः प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शराब पीकर मारपीट करना एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को दहेज के रूप में 1,51,000/– रूपये नकद व मोटरसाईकिल की मांग आदि करना व तंग परेशान करने के कथन किए है। जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर मारपीट व तंग परेशान नहीं किया गया तथा प्रार्थीया कॉपर में क्वाटरो में साफ सफाई करके 15000 रूपये प्रतिमाह कमाती है। इस प्रकार वह स्वयं अपना भरण पोषण करने हेतु समर्थ है।

इस संबंध में न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया कोमल व अप्रार्थी संख्या 1 रवि के मध्य विवाह होना उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत है तथा प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323, 341 आईपीसी की आपराधिक कार्यवाही पुलिस थाना खेतडीनगर में दर्ज करवाया जाना प्रकट है। क्या प्रार्थीया द्वारा बिना पर्याप्त कारण के अप्रार्थी संख्या 1 का परित्याग किया हुआ है या प्रार्थिया अपने भरण पोषण हेतु सक्षम है व अप्रार्थी संख्या 1 की आय क्या है, यह तथ्य बाद साक्ष्य ही मूल पत्रावली के निस्तारण के समय तय किये जा सकते हैं। परंतु इस स्तर पर न्यायालय के विनम्र मत में इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपनी विवाहिता पत्नी व उसके बच्चो के भरण–पोषण करने की नैतिक व विधिक जिम्मेदारी उसके पति पर ही है।

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राज0
कोमल बनाम रवि आदि
मुत0 फौजदारी प्रकरण सं0 55/2024
सीआईएस नंबर–55/2024

स्वीकृत रूप से उभय पक्षकारान वर्तमान में पृथक–पृथक रह रहे हैं एवं प्रार्थिया ने शपथ पत्र में अंकित किया है कि उसके पास कोई आय का साधन नहीं है।

चूंकि प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 की विवाहिता पत्नी होना स्वीकृत स्थित है। अतः इस स्तर पर अप्रार्थी संख्या 1 रवि से प्रार्थिया को अंतरिम भरण–पोषण राशि दिलाया जाना न्यायोचित है।

अतः इस स्तर पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में प्रार्थीया के पास स्वयं के भरण–पोषण का कोई साधन नहीं होने के कारण व उभय पक्षकारान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए 3,500/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थीया को दिलवाया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

अतः अप्रार्थी संख्या 1 रवि को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीया कोमल को मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अंतरिम भरण पोषण बाबत् रूपये 3,500/– रूपये (अक्षरे तीन हजार पांच सौ रूपये) प्रतिमाह प्रत्येक उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक अदा करेगा। अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थीया को यह राशि या तो नकद अदा करे या उसके बचत बैंक खाते में जमा करावे। उक्त आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 17.01.2024 से प्रभावी रहेगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थीया हेतु दिनांक.....को पेश हो।